

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
23.2.2026	<p>पत्रावली प्रेषण की अनुमति देकर (30/1/23) वृद्ध वृद्धावस्था (उम्र 70 वर्ष) पत्रावली का अन्वेषण किया गया। उम्र पत्रावली की वृद्ध वृद्धावस्था में गणना व गणना के अधिनियम 1970 के धारा 12 खख (b) के तहत गणना में उम्र पत्रावली के से क्विट प्रारंभ प्रथम दृष्टा के एक सुविधा का संचालन करना प्रारंभ वाली इतिहास के पत्र के वृद्धावस्था स्थिति है उम्र पत्रावली के अधिनियम की सहायता से क्विट प्रारंभ में क्विट वृद्धावस्था का कार्य करने में किसी तरह की बाधा व बाधा नहीं है। जहाँ वृद्धावस्था के क्विट का कार्य करने में बाधा नहीं है। धारा 12 खख (b) के तहत वृद्धावस्था प्रारंभ वृद्धावस्था के कार्य उम्र पत्रावली के अधिनियम से ही संचालित किया जा सकता है है पत्रावली का जारी लगत प्रारंभ 31.7.2023 के दिनांक के निर्णय के कार्यालय किया जाता है पत्रावली संचालन हुआ है वृद्धावस्था के संचालन रहे सुनाया</p>	<p>उम्र पत्रावली का पत्र उम्र पत्रावली का पत्र उम्र पत्रावली का पत्र</p>

उपरोक्त अधिकारी
 कटूमर (अलवर) राज०